समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश–2017

प्रत्येक वर्ष एक माह तक आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि सिंहेश्वर मेला इस वर्ष **दिनांक 24–02–2017** से प्रारम्भ होकर एक माह तक चलेगा। इस अवधि के दौरान ही दिनांक 25 से 27 फरवरी, 2017 तक पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के सौजन्य से सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, फलस्वरूप सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला में शांति–व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति वांछनीय है। वर्णित स्थिति में सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 335–2/गो0 दिनांक 18–02–2017 से प्राप्त संयुक्त पूर्वाभाष प्रतिवेदन के आधार पर **परिशिष्ट–"क"** के अनुसार सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3498 दिनांक 15–02–2017 के आलोक में पिछले वर्ष बकरीद /मोहर्रम /छठ /दीपावली /चेहल्लुम पर्व के दौरान भी कहीं–कहीं छिटपुट साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं घटी थीं। उन घटनाओं की पृष्टभूमि को देखते हुए शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवालयों, मेला स्थलों एवं शिवजी की बारात एवं शोभायात्रा निकाले जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी तथा सतर्कता सुनिश्चित करें। अत्यधिक भीड़ होनेवाले स्थलों पर आपराधिक, शरारती, साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी तथा असामाजिक तत्वों द्वारा इसका लाभ उठाकर कोई अप्रिय घटना किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मंदिरों, मेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ शरारती तत्वों के द्वारा छेड़खानी किये जाने पर अंकुश लगाये जाने हेतु महिला सिपाही तथा सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें।

भारत–नेपाल सीमा पर विशेषकर मोतीहारी में आई0एस0आई0 की गतिविधि परिलक्षित हुई है। स्थानीय पुलिस के द्वारा कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा रेल पटरियों को ध्वस्त कर हिंसक कार्रवाई करने की योजना थी तथा कानपुर रेल दुर्घटना में उनका हाथ होने के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि बिहार राज्य में महाशिवरात्रि पर्व पर पूर्व में किसी प्रकार की आतंकवादी तथा उग्रवादी घटना का इतिहास नहीं रहा है तथापि भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रों में आई0एस0आई0 की सक्रियता, पश्चिम बंगाल मालदा होकर किशनगंज के रास्ते से बिहार में आंतकियों के प्रवेश की संभावना तथा दरभंगा में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों के पकड़े जाने के उपरान्त भी बचे हुए स्लीपर सेल्स को लेकर महाशिवरात्रि पर्व पर भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर किसी प्रकार के संभावित आतंकी हमले को लेकर पूर्व सतर्कता सुनिश्चित करें। यथा आवश्यकता बड़े शिवालयों में एंटी सबोटेज जाँच भी कराई जाय।

इसके अलावे बिहार राज्य में जुलूस में डी0जे0 बजाने, मस्जिदों के सामने से विसर्जन जुलूस गुजरने, जुलूस में सम्मिलित शरारती तत्वों के द्वारा मस्जिदों तथा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों पर अबीर फेंक दिये जाने के कारण, अश्लील गीतों पर जुलूस में नृत्य करने तथा धार्मिक उन्माद वाले नारे लगाए जाने के कारण कई स्थानों पर तनाव तथा विधि–व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाले जाने वाली झांकियों तथा शोभा यात्रा के मार्ग को पूर्व से निर्धारित करते हुए अनुज्ञप्ति जारी किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल

पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा बिहार पुलिस अधिनियम 207 की धारा 66 एवं बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 23 के अन्तर्गत वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

जिला विशेष शाखा पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 29/डी0एस0बी0ओ0 /2017 दिनांक 19-02-2017 द्वारा सूचित किया गया है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत महाशिवरात्रि त्योहार दिनांक 24-02-2017 को मनाया जायेगा। यह पर्व पूरे जिला के सभी शिव मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन सिंहेश्वर शिव मंदिर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है तथा वहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगभग 01 माह तक चलता है। इस मेले में दूर-दूर से सैकड़ों व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं तथा पूरे बिहार एवं नेपाल से श्रद्धालु (महिला, पुरूष, बच्चे) पूजापाठ करने एवं मेला घूमने सिंहेश्वर में आते हैं। मधेपुरा के निकटवर्ती जिला-सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका एवं नेपाल आदि जगहों से काफी संख्या में श्रद्धालु (महिला, पुरूष, बच्चे) सिंहेश्वर मेला में आते हैं। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए मेला में कई थियेटर, सर्कस, सिनेमा एवं खेल तमाशा वाले भी आते हैं। सिंहेश्वर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के पशु मेला को एशिया स्तर का कहा जाता है। महाशिवरात्रि के बाद भी प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को भी सिंहेश्वर मंदिर में मेला अवधि तक काफी भीड़ रहती है, फलस्वरूप स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना सुनिश्चित किया जाय।

महाशिवरात्रि के दिन अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं (महिला, पुरूष, बच्चे) द्वारा शिव मंदिर में जल अर्पण प्रारंभ हो जाता है तथा बाहर के श्रद्धालुओं (महिला, पुरूष, बच्चे) महाशिवरात्रि से एक-दो दिन पहले से ही शिव मंदिर के आसपास डेरा जमाने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 03:00 बजे अपराह्न से 10:00 बजे रात्रि तक सिंहेश्वर में शिव शंकर भगवान के विवाह हेतु बारात की भव्य झाँकी निकलती है, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ जाती है तथा लगभग 10,000 हजार से ज्यादा श्रद्धालु (महिला, पुरूष, बच्चे) सम्मिलित होते हैं। पूर्व के वर्षों में शिव बारात भ्रमण के समय जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। शिव मंदिर से सटे 800 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी है, परन्तु महाशिवरात्रि के समय आजतक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सिंहेश्वर शिव-मंदिर हिन्दूओं का एक पवित्र पूजा स्थल है, जिस मंदिर पर आतंकवादी की नजर होने की भी असूचना मिल रही है। वे लोग मेला के समय कोई बड़ी घटना भी कर सकते हैं। पूर्व में एक संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने के संबंध में सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 130/13 दर्ज किया गया है। अतएव मंदिर परिसर में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की पूर्णतः चेकिंग एवं फ्रिक्सिंग / सर्तकता आवश्यक है। अतएव निदेश दिया जाता है कि एंटी सबोटेज जाँच सुनिश्चित की जाय एवं प्रशासन सर्तक एवं चौकस रहे, इस निमित्त ऐतिहाती कार्रवाई की जाय।

सिंहेश्वर मेला में थियेटर में अश्लील प्रदर्शन के दौरान मारपीट एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतएव थियेटर को इस शर्त्त के साथ अनुमति दी जाय कि वे लोग किसी भी परिस्थिति में अश्लील कला का प्रदर्शन नहीं करेंगे न करवायेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए अनुमति रद्द कर दी जायेगी।

मधेपुरा जिलान्तर्गत विशेष शाखा मधेपुरा, उदाकिशुनगंज एवं मुरलीगंज से प्राप्त सूचना एवं आसूचना के अनुसार पूर्व की भाँति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि शांतिपूर्ण वातावरण में मनाये जाने की सूचना है। अबतक कहीं से कोई पूर्व तनाव एवं कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतएव सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शिवालयों में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु ऐतिहाती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रतिनियुक्ति करेंगे।

(1) वरीय प्रभारी :-

सिंहेश्वर मेला के वरीय प्रभारी के रूप में **श्री मिथिलेश कुमार उप विकास आयुक्त, मधेपुरा** (मोबाईल नं0-9431818377) की प्रतिनियुक्ति की जाती है। वे मेला परिसर की सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था को सामान्य एवं शांतिपूर्ण बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे तथा मेला अवधि में श्रद्धालुओं /दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(2) मेले में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार :-

सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला, 2017 के अवसर पर विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा रहेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन दायित्वपूर्ण ढंग से तत्परता के साथ करें तथा किसी दण्डाधिकारी /पुलिस बल की अनुपस्थिति में वैकल्पिक प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करते हुए उसकी सूचना देंगे।

➢ अनुमंडल दण्डाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा का यह दायित्व होगा कि मेला नियंत्रण कक्ष निर्बाध गति से 24 घंटा कार्यरत रहे। मेला नियंत्रण कक्ष में आवश्यक कर्मियों /पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे। वे प्रतिदिन यह भी जांच करेंगे कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अपने-अपने आवंटित स्थान /क्षेत्र में उपस्थित हैं अथवा नहीं। अनुपस्थित दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों की सूचना प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी द्वय (जिला दण्डाधिकारी /पुलिस अधीक्षक) को देना सुनिश्चित करेंगे।

➢ अनुमंडल दण्डाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा मेला नियंत्रण कक्ष में शिकायत पंजी संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें आगंतुक /श्रद्धालुगण /दुकानदार को होने वाले शिकायतों का निपटारा करेंगे।

(3) Crowd Management /भीड़ प्रबंधन :- महाशिवरात्रि की तिथि एवं अन्य तिथियों को श्रद्धालुओं द्वारा बाबा सिंहेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने की परम्परा रही है। काफी संख्या में श्रद्धालुओं विशेषकर महिला श्रद्धालुओं के आगमन से मंदिर परिसर एवं आस-पास का क्षेत्र विधि-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील हो जाता है। भीड़ नियंत्रण हेतु निम्नांकित सभी कार्रवाई किया जाना है -

➢ भीड़ कुप्रबंधन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक परिसरों को निशाना बनाये जाने के खतरों से निपटने हेतु विधि-व्यवस्था संधारण कार्य में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल को कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है।

- सिंहेश्वर मंदिर में जलाभिषेक हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में अपेक्षाकृत महिलाओं तथा 7-10 वर्ष के बच्चों से लेकर 45-50 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक होगी, जिसका एक मात्र उद्देश्य देवाधिदेव का जलाभिषेक करने के पश्चात् अपने-अपने घर लौटना होगा।
- मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु पृथक-पृथक प्रवेश तथा निकास द्वार बनाये गये हैं, जिसका उद्देश्य एक्सेस कन्ट्रोल हैं। हाथी गेट से लेकर मंदिर परिसर के गेट तक भीड़ का मकसद मंदिर परिसर में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। यह पथ सकरा है तथा फुट-पाथ पर भी दुकानें लगी रहती है तथा भीड़ के धक्का-मुक्की करने की स्थिति में दुर्घटना की आंशका हो सकती है।

इस मार्ग को सुगम बनाना होगा तथा नालियों की साफ-सफाई (ट्रस्ट कार्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा) की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही मंदिर प्रवेश के समय अत्यधिक भीड़ की